न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 734 सन 2019
अनवान :–

1. गुलाबनवी पुत्र ईस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलोनी वाढ संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सलामु पुत्र ईस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोशन पुत्र ईस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मौसम पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जाकिर पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. जैतुन पत्नी नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. नजमा पुत्री नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. अनवर पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मकसुद पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सलीम पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. जबरदीन पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. समीना पुत्री नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. जैतुन पुत्री ईस्माईल पत्नी नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी इस्लामिया मदरसा के पास वार्ड संख्या 30 नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 एनएवआर बी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.9860हैक्‍ व खाता संख्या 20/14 की कुल 1.97385हैक्‍ भूमि वादी के पिता ईस्माईल पुत्र माणक के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता ईस्माईल पुत्र माणक का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, पुत्री प्रतिवादी संख्या 12 एवं मृतक पुत्र नवावदीन के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है अर्थात इस्माईल पुत्र माणक के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है ईस्माईल पुत्र माणक की भूमि के हकदार है जो अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 12 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 जो प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 ,12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों वादी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 10 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता ईस्माईल पुत्र माणक के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो ईस्माईल के नाम से दर्ज भूमि को अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 एनएवआर बी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.9860हैक व खाता संख्या 20/14 की कुल 1.97385हैक भूमि वादी के पिता ईस्माईल पुत्र माणक के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता ईस्माईल पुत्र माणक का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, पुत्री प्रतिवादी संख्या 12 एवं मृतक पुत्र नवावदीन के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है अर्थात इस्माईल पुत्र माणक के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है ईस्माईल पुत्र मापक की भूमि के हकदार है जो अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 12 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 जो प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 ,12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.9860हैक्ट व खाता संख्या 20/14 की कुल 1.97385हैक्ट भूमि वादी के पिता ईस्माईल पुत्र माणक के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता ईस्माईल पुत्र माणक का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, पुत्री प्रतिवादी संख्या 12 एवं मृतक पुत्र नवावदीन के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है अर्थात इस्माईल पुत्र माणक के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है ईस्माईल पुत्र माणक की भूमि के हकदार है जो अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 12 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 जो प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 ,12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 11 ,12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,11 ,12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एेजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.9860हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआरबी के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.97385हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुलाबनवी पुत्र ईसमाईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलोनी वाड्र संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सलामु पुत्र ईसमाईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. रोशन पुत्र ईस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3. मौसम पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4. जाकिर पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. जैतुन पत्नी नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. नजमा पुत्री नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7. अनवर पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8. मकसुद पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. सलीम पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. जबरदीन पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11. समीना पुत्री नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

12. जैतुन पुत्री ईस्माईल पत्नी नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी इस्लामिया मदरसा के पास वार्ड संख्या 30 नोहर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 734 सन 2019 निर्णय दिनांक– 30/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.9860हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआरबी के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.97385हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुलाबनवी पुत्र ईसमाईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलोनी वाड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सलागु पुत्र ईसमाईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोशन पुत्र ईसमाईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मौसम पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जाकिर पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. जैतुन पत्नी नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. नजमा पुत्री नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. अनवर पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मकसुद पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सलीम पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. जबरदीन पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. समीना पुत्री नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी सिचाई कॉलानी वार्ड संख्या 30 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. जैतुन पुत्री ईसमाईल पत्नी नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी इस्लामिया मदरसा के पास वार्ड संख्या 30 नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 734 सन 2019 निर्णय दिनांक– 30/9/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.9860हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआरवी के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.97385हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वहिव प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोपित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner